



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

सहायक प्राध्यापक (संस्कृत व्याकरण) परीक्षा-2022 दिनांक 17.11.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञापित क्र.- 13157 / 47 / 2024 / अनु.-10

इंदौर दिनांक :- 26 / 12 / 2024

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (संस्कृत व्याकरण) परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01 / विज्ञापन क्रमांक-45 / 2022 / 30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 27.04.2023।

(1)	विज्ञापित क्रमांक-12655 / 2022 / अनु.-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविएट याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)।
(2)	शुद्धि पत्र क्रमांक-01 / 16 / 2022 से 53 / 2022, दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)।
(3)	शुद्धि पत्र क्रमांक-02 / 16 / 2022 से 51 / 2022 दिनांक 15.03.2023 (अर्हकारी अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट के संदर्भ में)।
(4)	शुद्धि पत्र क्रमांक-03 / 16 / 2022 से 53 / 2022, दिनांक 25.07.2023 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन)।
(5)	शुद्धि पत्र क्रमांक-05 / 45 / 2022, दिनांक 18.12.2023 (सहायक प्राध्यापक संस्कृत व्याकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)।
(6)	शुद्धि पत्र क्रमांक-07 / 16-53 / 2022 दिनांक 28.03.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022(समस्त विज्ञापित विषयों हेतु), एवं ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु समी में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)।
(7)	शुद्धि पत्र क्रमांक-08 / 16-53 / 2022 दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास) (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022(समस्त विज्ञापित विषयों हेतु), एवं ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु समी में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)।
(8)	शुद्धि पत्र क्रमांक-10 / 19,20,22,32,43,45 / 2022 दिनांक 02.09.2024 (सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 06 विषयों की ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः प्रारंभ करने की सूचना)।
(9)	शुद्धि पत्र क्रमांक-13 / 16-53 / 2022 दिनांक 13.09.2024 (सहायक प्राध्यापक संस्कृत व्याकरण हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना संबंधी)।
(10)	शुद्धि पत्र क्रमांक-11 / 45 / 2022 दिनांक-10.09.2024 सहायक प्राध्यापक संस्कृत व्याकरण परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग की जानकारी।

02 / उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (संस्कृत व्याकरण) परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 17.11.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र संस्कृत व्याकरण दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03 / उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	-	-	1	-	-	1
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	-	-	-	-	-	-
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	(PH-NA)					-

M. Minelu
26.12.24

सहायक प्राध्यापक (संस्कृत व्याकरण) परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल-1 अभ्यर्थी की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

Hindu

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2022 (SANSKRIT GRAMMER)- PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S.NO.	ROLLNO
1.	450001

Minal

साक्षात्कार हेतु लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक :- 45/2022/30.12.2022		पद/परीक्षा का नाम :- सहायक प्राध्यापक (संस्कृत व्याकरण) परीक्षा-2022	
अनुक्रमांक-		अभ्यर्थी का नाम :-	
स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
5.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
7.	हाई स्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
8.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि। (स्नातक परीक्षा दिनांक 26.09.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (दिनांक 26.09.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। (दिनांक 26.09.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र। (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
14.	आशुक्ति श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
15.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
16.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
17.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
18.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पेन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
19.	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.09.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है।)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
20.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	

21.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
22.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-.....

05/ साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 17/01/2025 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारीयों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06/ आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-

आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 17/01/2025 के पश्चात् कार्यालयीन दिवस/समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कराने के पश्चात् अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)।	दिनांक 20/01/2025 से 24/01/2025
02.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)।	दिनांक 27/01/2025 से 31/01/2025

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (संस्कृत व्याकरण) परीक्षा-2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. सहायक प्राध्यापक (संस्कृत व्याकरण) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
3. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
5. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

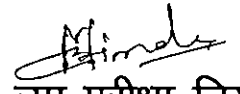
[Handwritten Signature]

6. सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जनभागीदारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. आयोग की बैठक दिनांक 30.10.2023 में लिए गए निर्णय क्रमांक-31 के अनुसार सहायक प्राध्यापक (संस्कृत व्याकरण) परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तरकुंजी में विलोपित किए गए प्रश्नों के अंक परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को समान रूप से प्रदाय किए गए हैं अर्थात् दोनों प्रश्न पत्रों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक की गणना हेतु निर्धारित पूर्णांक यथावत हैं।
9. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 17/01/2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक (संस्कृत व्याकरण) परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।


उप परीक्षा नियंत्रक